राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **2046 / 2024**

डॉ. नेहा चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवायलय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवायलय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 19.06.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री जी.के. जैन उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य (Obstetrics & Gynecology) के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा मेडिकल कॉलेज, अजमेर में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रसूति विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में सहायक आचार्य के 26 पद हैं, जिनमें से केवल 12 पद पर ही सहायक आचार्य कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान पद से अन्य स्थान पद पदस्थापित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में जयपुर में ही कार्यरत है। सरकार की नीति रही है कि पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जाए। जिस नीति के विरूद्ध जाते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क

रहा है कि अपीलार्थी को टीए एवं डीए प्रदान किये जाने का उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं है। ऐसे में आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये किया गया है।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. जहां तक अपीलार्थी एवं उनके पति को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखे जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती है। स्थानान्तरण आदेश केवल इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के पति जयपुर में पदस्थापित है और इस कारण अपीलार्थी को जयपुर से बाहर पदस्थापित किया जाना गलत है। जहां तक टीए एवं डीए दिये जाने का उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में हमारे विचार से अपीलार्थी नियमानुसार टीए एवं डीए प्राप्त करने की अधिकारी है। केवल टीए एवं डीए का उल्लेख स्थानान्तरण आदेश में नहीं होने से उक्त आदेश गलत होना नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि जयपुर में प्रसूति विभाग में सहायक आचार्य के पद रिक्त हैं, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा उठायी गयी यह आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)